प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
दिल्ली रोड, माधवपुरम,
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक / 4040–41 / एन0ओ0सी0 / 2010–11 दिनांक 05/1/11

विषयः उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु भूमि की जांच आख्या प्रेषित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या संख्या 2284 / सत्तर 2 2009–2(166) / 2002, उच्च शिक्षा अनुभाग 2, लखनऊ दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष मा0आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सलंग्न महाविद्यालयों / संस्थानों की सूची के अनुसार प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों की अनापत्ति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में सलंग्नक सूची के अनुसार संस्थानों की भूमि की जांच कर आख्या मा0 आयुक्त कार्यालय / अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त संस्थान के भूमि सम्बंधी अभिलेख / खतौनी की प्रति भी सलंग्न की जा रही है।

कृपया जांच आख्या परीक्षणोपरांत मा0जिलाधिकारी जी की संस्तुति एवं माध्यम से ही भिजवाने की कृपा करें। जांच आख्या के बिन्दु निम्नवत है

1. राजस्व अभिलेखों में (अमल दरामद) / सलग्न खतौनी के अनुसार सोसायटी अथवा महाविद्यालय के नाम कुल कितनी भूमि अंकित है ?
2. कई गाटे होने की स्थिति में क्या सभी गाटे आपस में सटे हुए है ?
3. भूमि प्राधिकरण / नगर निगम / नगर पालिका परिषद / ग्रामीण क्षेत्र के किस क्षेत्र में अवस्थित है ?
4. प्रस्तावित भूमि किस मार्ग पर है ?

भवदीय,

(डा0बी0एन0शुक्ला)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0 / क्षे0उ0शि0मे0 / 4040–41 / 2010–11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
दिल्ली रोड़, माधवपुरम,
मेरठ ।

पत्रॉकः 1622 /सात–डी0एल0आर0सी0/जॉच/कले0–गा0बाद–2011–12 दिनॉकः 02/6 2011

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये विश्वविघालय/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविघालयों /संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यकमों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु भूमि की जॉच आख्या प्रेषित कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0 4040–41/एन0ओ0सी0/2010–11 दिनॉक 5–1–2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नव स्थापित/नये पाठ्यक्रम खोले जाने वाले विश्वविघालयों के सम्बन्ध में एम0एम0स्नातकोत्तर महाविधालय मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर जॉच आख्या चाही गई है । इस सम्बन्ध में उक्त प्रश्नगत कालिज की जॉच आख्या उपजिलाधिकारी मोदीनगर से प्राप्त की गई ,जो निम्नवत है–

01	राजस्व अभिलेखों में (अमलदरामद)/ खतौनी में सोसायटी अथवा महाविघालय के नाम कुल कितनी भूमि अंकित है?	राजस्व अभिलेख/संलग्न खतौनी के अनुसार मुल्तानी मल डिग्री कालेज सोसायटी रजिस्ट्रर्ड मोदीनगर के नाम 9–5–19 बीघा भूमि है,जिसकी सोसायटी द्वारा कालिज के नाम कोई लीजडीड नही की गयी है।
02	कई गाटे होने की स्थिति में क्या सभी गाटे आपस में सटे हुए हैं ?	गाटे आपस में सटे हुए है।
03	भूमि प्राधिकरण /नगर निगम/ नगर पालिका परिषद,/ग्रामीण क्षेत्र के किस क्षेत्र में अवस्थित है ?	विघालय का भवन/भूमि नगर पालिका परिषद मोदीनगर,जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अर्न्तगत है,में अवस्थित है।
04	प्रस्तावित भूमि किस मार्ग पर है।	प्रश्नगत विधालय राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पूर्व दिशा में है।

भवदीय,

(हृदेश कुमार)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

महोदय

पत्र क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी दिल्ली रोड़ माधवपुरम मेरठ पत्रांक 4040-41- एन० ओ० सी० 2010 दि० 05-1-11 उच्च शिक्षा क्षेत्र स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में संलग्न खतौनी में गाटा संख्या के सम्बन्ध में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर जाँच आख्या इस प्रकार है।

(1) ग्राम बेगमाबाद बुदाना पर० जलालाबाद तह० मोदीनगर जि० गाजियाबाद में संलग्न खतौनी व बैनामे में स्कूल व मोदी हाई स्कूल व सोसायटी लिखा है पर भूमि जमींदारी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है भारत सरकार की एक्ट के मोदी हाई स्कूल अंकित है मोदी पी० एम० एम० की मालकियत मोदीनगर बना है कुल भूमि 9-5-19 पुख्ता बीघा है।

(2) सभी गाटे नम्बर आपस में सटे हुए हैं नजरी नक्शा साथ संलग्न है।

(3) उक्त भूमि नगर पालिका परिषद मोदीनगर जि० गाजियाबाद क्षेत्र में अवस्थित है।

(4) प्रस्तावित शिक्षण संस्थान गाजियाबाद से मेरठ मार्ग एन-एच० 58 पर स्थित है।

रिपोर्ट प्रेषित।

[signature]
04/02/11
उत्तम प्रकाश
[illegible]

अ०गा०[illegible]

[signature]
4/2/11
[illegible]

नजरी नक्शा

ग्राम- बेगमाबाद बुदाना (मोदीनगर)
परगना - जलालाबाद
तहसील - मोदीनगर
जिला - गाजियाबाद

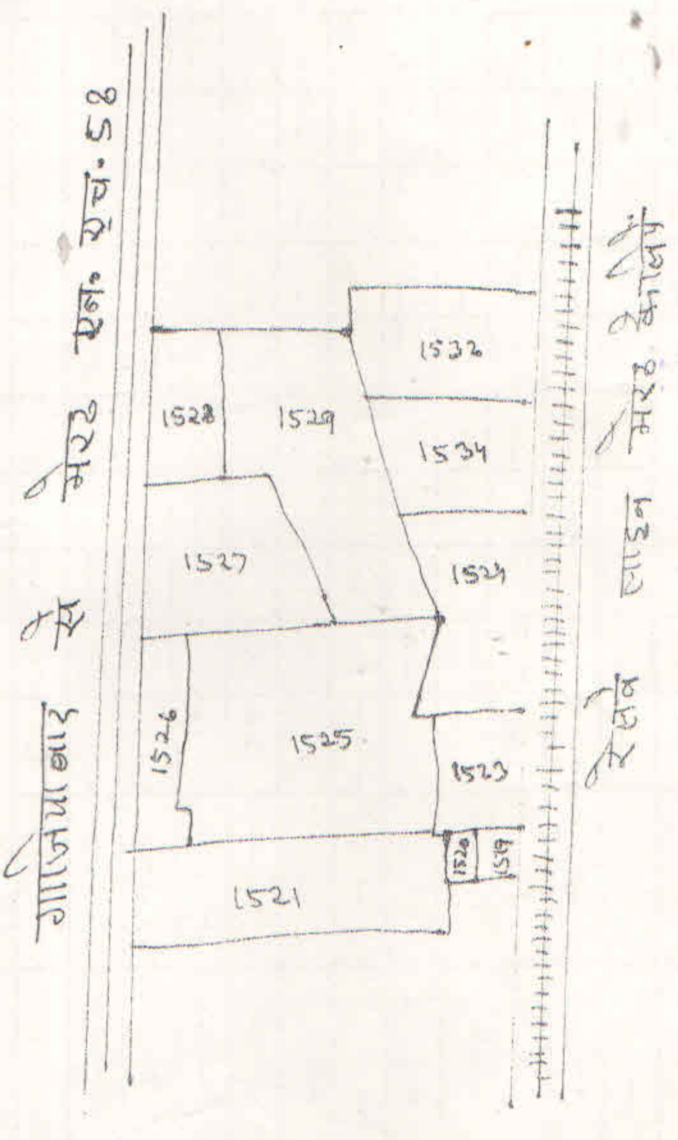

4/4/11

05/04/2011

सुन्दर प्रकाश
मोदीनगर

इन्तखाब खसरा ग्राम जमींदारी क्षेत्र- केशवाबाद बुदाना परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गा० बाद बाबत साल 140

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	खतौनी खाते की संख्या		खतौनी खाते के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएं	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल — खरीफ: फसल का भाग	सींचा हुआ	अन सींचा	रबी: फसल का नाम	सींचा हुआ	अन सींचा	जायद: फसल का नाम	सींचा हुआ	अन सींचा	दो फसली क्षेत्रफल: सींचा हुआ	अन सींचा	मिलान खसरे के स्तम्भों के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा: भूमि की श्रेणी	क्षेत्र	प्रत्येक खेत के पूरे बढ़े हुए वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
१५१९	।।)३	मु०कुंडे २	१२	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	स्कूल	।।)३		
१५२०	।)२	मु०सुद्दा० २८	१००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	मोदी स्कूल	।)२		
१५२१	।)२	मु०सुद्दा०	१००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	मोदी हाई स्कूल	।)२		
१५२३	१।।)४+५	मु०सुद्दा० २८	६६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	१।।)४+५		
१५२४	१।)x१५	मु०सुद्दा० २८	६६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	१।)x१५		
१५२६/१	।)३+१५	मु०जगराम २	६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	।)३+१५		
१५२६/२	)१+१८	मु०जगराम २	६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	)१+१८		
१५२५	52	मु०सुद्दा० २०	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	52		
१५२७	।)२+६	मु०जगराम	६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	।)२+६		
		मु०दरयाव ।)२५	१४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
१५२८	।)४	मु०हरनाम २/४	९६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	।)४		
१५२९	१।।)	मु०सुद्दा० २८	६६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	१।।)		
१५३२	१)	मु०दरयाव ।।।)५/४	१४	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	[illegible]		
१५३४	।।।)	मु०सुद्दा० ।।।)x२८	६६	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	।।।)		

सत्यप्रतिलिपि नियमानुसार फीस वसूल पायी)

04/6/11

[illegible] प्रकाश [illegible] जमींदारी क्षेत्र [illegible] गाजियाबाद

22(2)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
दिल्ली रोड, माधवपुरम,
मेरठ ।

पत्रॉक: 1627 /सात–डी0एल0आर0सी0/जॉच/कले0–गा0बाद–2011–12 दिनॉक: मई 2/6/ 2011

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये विश्वविघालय/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविघालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु भूमि की जॉच आख्या प्रेषित कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0 4040–41/एन0ओ0सी0/2010–11 दिनॉक 5–1–2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नव स्थापित/नये पाठ्यक्रम खोले जाने वाले विश्वविघालयों के सम्बन्ध में एम0एम0स्नातकोत्तर महाविधालय मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर जॉच आख्या चाही गई है । इस सम्बन्ध में उक्त प्रश्नगत कालिज की जॉच आख्या उपजिलाधिकारी मोदीनगर से प्राप्त की गई ,जो निम्नवत है–

01	राजस्व अभिलेखों में (अमलदरामद)/खतौनी में सोसायटी अथवा महाविघालय के नाम कुल कितनी भूमि अंकित है?	राजस्व अभिलेख/संलग्न खतौनी के अनुसार मुल्तानी मल डिग्री कालेज सोसायटी रजिस्टर्ड मोदीनगर के नाम 0.8950 है0भूमि है,जिसकी सोसायटी द्वारा कालिज के नाम कोई लीजडीड नही की गयी है।
02	कई गाटे होने की स्थिति में क्या सभी गाटे आपस में सटे हुए हैं ?	गाटे आपस में सटे हुए है।
03	भूमि प्राधिकरण /नगर निगम/ नगर पालिका परिषद,/ग्रामीण क्षेत्र के किस क्षेत्र में अवस्थित है ?	विधालय का भवन/भूमि नगर पालिका परिषद मोदीनगर,जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अर्न्तगत है,में अवस्थित है।
04	प्रस्तावित भूमि किस मार्ग पर है।	प्रश्नगत विधालय राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पूर्व मे है।

भवदीय,

(हृदेश कुमार)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद ।

दिनाँक 16/7/09

(4)

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार जी
तहसील मोदीनगर
जिला – गाजियाबाद

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आपके यहाँ गुलतानीमल मोदी डिग्री कालेज सोसाइटी रजिस्टर्ड, मोदीनगर के नाम से दर्ज खतौनी है और उक्त खतौनी में खाते के गाटे की खसरा संख्या क्रमशः 1558/1, 1567/1 एवं 1574 और जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 0.0890, 0.0020 और 0.4050 है जिनके जोकि आपस में सभी गाटे संयुक्त है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त इन सभी गाटो का संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा जारी करने की कृपा करे।

धन्यवाद

ग्राम – बेगमाबाद बुदाना
परगना – जलालाबाद
तहसील – मोदीनगर
जिला – गाजियाबाद

संलग्न :
1. खतौनी
2. भूमि का इन्तखाब खसरा

भवदीय
[signature]
(डा० आर० सी० लाल)
प्राचार्य

Principal
M.M. (P.G.) College
Modinagar-201 204

रा०नि०
जाँच कर आख्या
[signature]
17/7/09

महोदय
प्रार्थी डा० आर० सी० लाल प्राचार्य एम० एम० (पी० जी०) कालिज मोदीनगर गा०बाद ने एक आरज दे दिया है प्रार्थना कि ख० नं० 1558/1 1567/1 एवं 1574 आपस मिले (संयुक्त) है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी मुलतानीमल मोदी डीग्री कालिज सोसाईटी रजि० मोदीनगर के नाम उक्त ख० नं० 1558/1 1567/1 एवं 1574 सजाल अभिलेखो खतौनी के नाम दर्ज है हल्का व मौका का मिलान किया गया उक्त नम्बर आपस (मिले) है संयुक्त है रिपोर्ट सेवा में प्रेषित
[signature]
17/7/09

अग्रसारित
[signature]
तहसीलदार
17/7/09
मोदीनगर
जनपद गाजियाबाद

महोदय
उपरोक्त गाटे का नक्शा नजरी संलग्न है। उक्त गाटे आपस में मिले हुए है। राजस्व अभिलेखो में सोसाइटी का नाम दर्ज है। आख्या सेवा में प्रस्तुत।
[signature]
17/7/09

उद्धरण खतौनी

5676

ग्राम क्रमांक : 16020304009 ग्राम का नाम : बेगमाबादबुदाना(अंदर) परगना जलालाबाद तहसील : मोदीनगर

जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1415-1420 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00943	मुलतानीमल डिग्री कालिज सोसाइटी रजिस्टर्ड मोदीनगर			1375 से	1558/1	0.0890			
				1375 से	1569/1	0.2020			
				1375 से	1573	0.0760			
				1375 से	1574	0.4050			
				1375 से	1613	0.0720			
				1375 से	1560	0.0510			
				कुल गाटे :	6 कुल क्षे :	0.8950	26.15		

हस्ताक्षर

सत्यापित

प्राचार्य
मुलतानीमल मोदी कालिज,
मोदीनगर

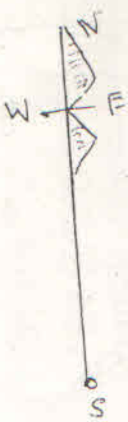

नजरी नक्शा
ग्राम- बेगमाबाद बुदाना
परगना - जलालाबाद
तहसील - मोदीनगर
जिला - गाजियाबाद

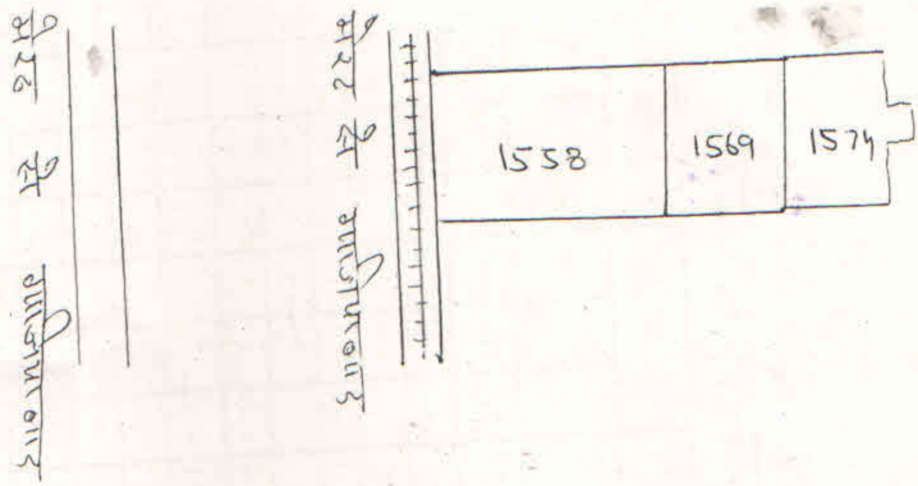

17/07/09

17/7/09

अग्रसारित

17/7/09

सचिव
जनपद-गाजियाबाद

प्रमाणित

प्राचार्य
कुलानीमल ... कालेज
मोदीनगर

इन्तखाब खसरा ग्राम बेगमाबाद बुदाना परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद दबावत वर्ष १४१६ फसली

खसरा सं०	क्षेत्रफल हैक्टयर में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी खाते के वर्गीकरण (भाग १) के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के (भाग २) के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल — खरीफ			रबी			जायद			दो फसली क्षेत्रफल		मिलान खसरे के स्तम्भो के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्योरा		प्रत्येक खेत के पूरे बडे हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
१५५८/२	०.३०४	६४३ / ०.०८६	मुल्तानीमल डिग्रीकालिज सोसाइटी रीजस्टर्ड मोदीनगर		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
१५५६/१	०.३०४	६४३ / ०.२०२	मुल्तानीमल डिग्रीकालिज सोसाइटीरीजस्टर्ड मोदीनगर		—															
१५६३	०.०६६	६४३	मुल्तानीमल डिग्रीकालिज सोसाइटीरीजस्टर्ड मोदीनगर		—															
१५६४	०.४०५	६४३	मुल्तानीमल डिग्रीकालिज सोसाइटीरीजस्टर्ड मोदीनगर		—															
१६१३	०.२०२	६४३ / ०.०६२०	मुल्तानीमल डिग्रीकालिज सोसाइटीरीजस्टर्ड मोदीनगर		—															
१५६०/२	०.०५१	६४३	मुल्तानीमल डिग्रीकालिज सोसाइटीरीजस्टर्ड मोदीनगर		—															

सत्यप्रतिलिपि नियमानुसार फीस वसूल पायी।
(हस्ताक्षर) २३/६/०९

प्रमाणित
(हस्ताक्षर)
प्राचार्य
मुल्तानीमल मोदी कालिज
मोदीनगर

सत्य प्रकाश शर्मा (लेखपाल)
तहसील मोदीनगर क्षेत्र बेगमाबाद (गाजियाबाद)

किया गया।

5-5-75

सत्यापित

आचार्य

लतानीमल मोदी कालेज

मोदीनगर।

IVERSITY MEERUT

OF PROFESSIONAL COURSE

CLASS:- LL.B.- I

111 112 113 114

संख्या-23/ 2016/ 772/ सत्तर-2-2016-16(116)/ 2015टी.सी.-II

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 दिसम्बर,2016

विषयः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानको का निर्धारण।

http://shasanadesh.up.nic.in

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु सामान्य प्रक्रिया, औचित्य निर्धारण, प्राभूत की राशि, भूमि, भवन, पुस्तकालय/ प्रयोगशालाओं के अनावर्तक तथा अनावर्तक व्यय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु मानकों एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त सेक्सन/ सीटों की वृद्धि किये जाने आदि के संबंध में नये मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या-3075/ सत्तर-2-2002-2(166)/ 2002 दिनांक 27-09-2002 एवं शासनादेश संख्या-3411/ सत्तर-2-2002-2(166)/ 2002 दिनांक 11-10-2002 एवं शासनादेश संख्या-585मु0मं0/ सत्तर-2-2005-2(166)/ 2002 दिनांक 21-10-2005 एवं शासनादेश संख्या-743 मु0मं0/ सत्तर-2-2006-2(166)/ 2002 दिनांक 07-11-2006 द्वारा किया गया है।

2- मानकों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-585मु0मं0/ सत्तर-2-2005-2(166)/ 2002 दिनांक 21-10-2005 के प्रस्तर-2(1)(ग)(छ) एवं (ज) में

विद्यमान व्यवस्था के कारण शहरी क्षेत्र में पूर्व से स्थापित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने में हो रही कठिनाई तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूमि को महाविद्यालयों को विधितः स्थानान्तरित करने में भी हो रही कठिनाई के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- संख्या-585मु0मं0/ सत्तर-2-2005-2(166)/ 2002 दिनांक 21-10-2005 के प्रस्तर-2(1)(ग)(छ) एवं (ज) में विद्यमान प्राविधान जो कि स्तम्भ-1 में उल्लिखित है, को स्तम्भ-2 के अनुसार संशोधित करते हुए एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(ग) ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगरपालिका परिषद् स्थित है, वहाँ के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालय/ संस्थान हेतु नगरपालिका (परिषद) क्षेत्र के लिये निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे।	(ग) ऐसे विकास प्राधिकरण जहाँ नगरपालिका परिषद् स्थित है, वहाँ के प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड में स्थापित होने वाले महाविद्यालय/ संस्थान हेतु 'नगरपालिका (परिषद) क्षेत्र के लिये निर्धारित भूमि के मानक लागू होंगे। ग(1) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/ विकास प्राधिकरणों/ सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न ट्रस्ट/ निकाय/ समितियों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु आवंटित की गयी भूमि पर महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनापत्ति / सम्बद्धता प्रदान करने के लिये उक्त भूमि को महाविद्यालय के नाम अन्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह कि ट्रस्ट/ निकाय / समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।
(छ) किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव के समय सम्बन्धित ट्रस्ट/ निकाय के नाम भूमि अनिवार्य रूप से होगी। राजस्व अधिकारी के रूप में खतौनी तहसीलदार द्वारा सत्यापित होगी तथा प्रस्ताव के साथ खतौनी की मूलप्रति शासन को संदर्भित की जायेगी।	(छ) किसी नये पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर भूमि से सम्बन्धित अभिलेख की आवश्कता नहीं होगी। नये पाठ्यक्रम के प्रस्ताव के साथ आवेदक को महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि महाविद्यालय प्रारम्भ करते समय उपलब्ध भूमि वर्तमान में भी उपलब्ध है, और उसी भूमि पर नया पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा।

-3-

http://shasanadesh.up.nic.in

(ज) मानकानुसार अपेक्षित भूमि प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होने पर ही सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। पैत्रिक संस्था अपने नाम की भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय को विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा।	(ज) मानकानुसार अपेक्षित भूमि प्रस्तावित महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित होने पर ही सम्बद्धता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। पैत्रिक संस्था अपने नाम की भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर महाविद्यालय को विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष से कम के पट्टे को मान्य नहीं किया जायेगा। यह प्राविधान शासनादेश दिनांक 21-10-2005 के पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता के प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा।

3- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-585मु0मं0/ सत्तर-2-2005-2(166)/ 2002 दिनांक 21-10-2005 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

4- आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उक्त आदेशो का पूर्णतया अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/ 2016/ 772(1)/ सत्तर-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति/ श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(5) उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

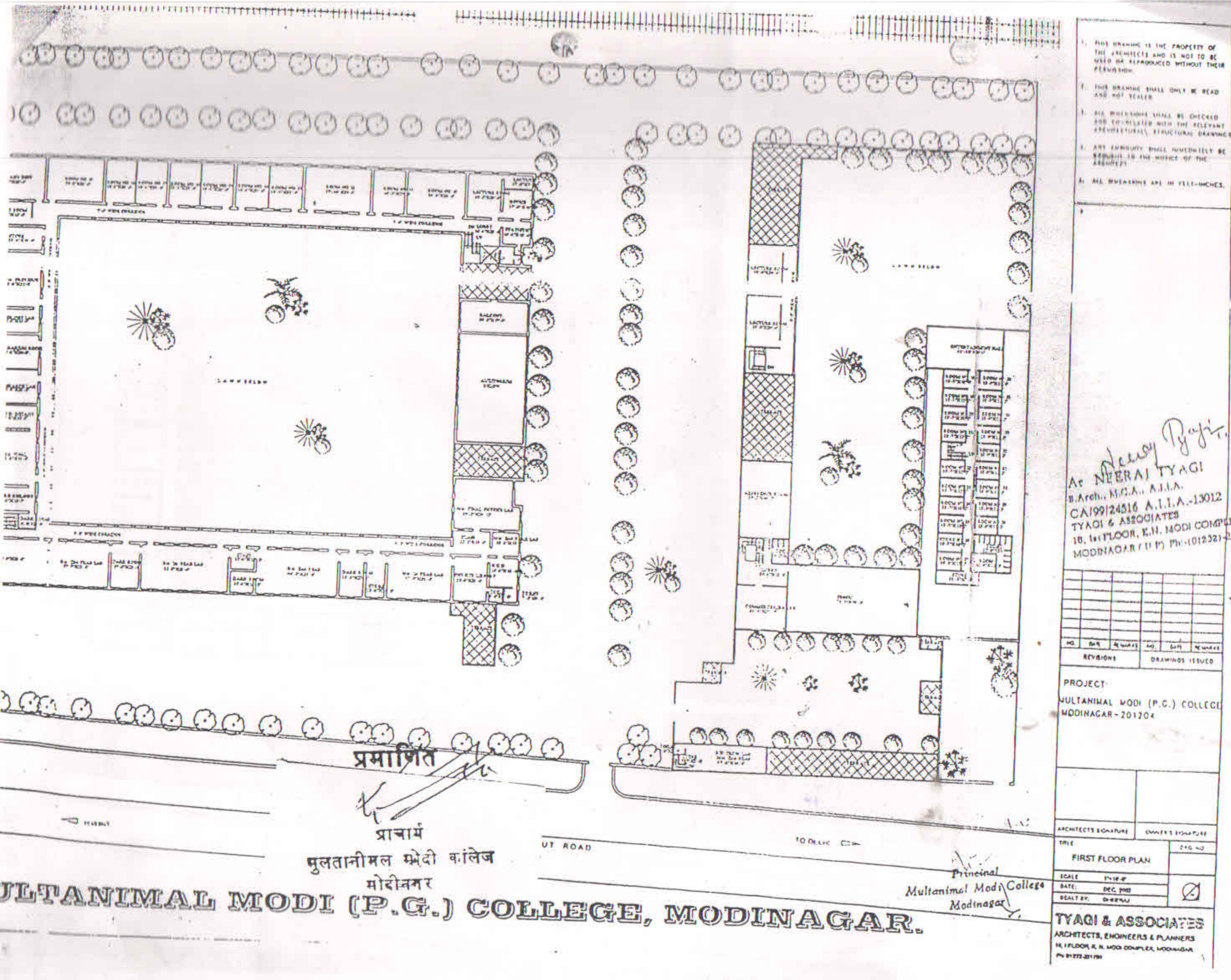

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECTS AND IS NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR PERMISSION.
2. THIS DRAWING SHALL ONLY BE READ AND NOT SCALED.
3. ALL DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND CO-RELATED WITH THE RELEVANT ARCHITECTURAL, STRUCTURAL DRAWINGS.
4. ANY AMBIGUITY SHALL IMMEDIATELY BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT.
5. ALL DIMENSIONS ARE IN FEET-INCHES.
Ar. NEERAJ TYAGI
B.Arch., M.G.A., A.I.I.A.
CA/99/24516 A.I.I.A.-13012
TYAGI & ASSOCIATES
18, 1st FLOOR, K.N. MODI COMPLEX,
MODINAGAR (U.P.) Ph:-(01232)-21782
REVISIONS
DRAWINGS ISSUED
PROJECT:
MULTANIMAL MODI (P.G.) COLLEGE
MODINAGAR - 201204
ARCHITECTS SIGNATURE
OWNERS SIGNATURE
TITLE:
FIRST FLOOR PLAN
SCALE
DATE: DEC. 1983
TYAGI & ASSOCIATES
ARCHITECTS, ENGINEERS & PLANNERS
UT ROAD
प्रमाणित
प्राचार्य
मुलतानीमल मोदी कॉलेज
मोदीनगर
Principal
Multanimal Modi College
Modinagar
MULTANIMAL MODI (P.G.) COLLEGE, MODINAGAR.

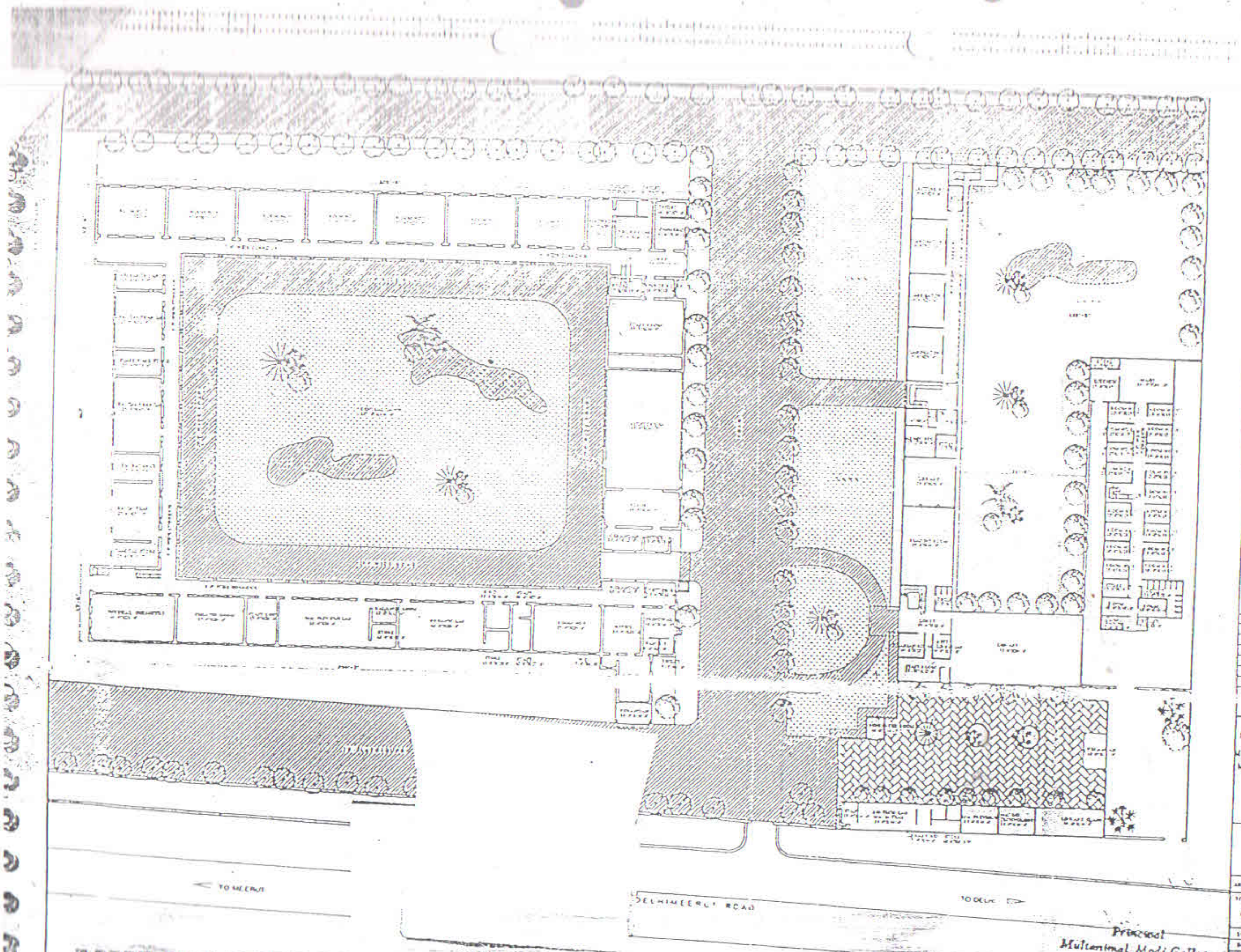

MULTANIMAL MODI (P.G.) COLLEGE, MODINAGAR.

Principal
Multanimal Modi College
Modinagar

Ar. NEERAJ TYAGI
B.Arch., M.C.A., A.I.I.A.
CA/59/24516 A.I.I.A.-13012
TYAGI & ASSOCIATES
18, 1st FLOOR, K.N. MODI COMPLEX,
MODINAGAR (U.P.) Ph:-(01232)-21709

PROJECT:
MULTANIMAL MODI (P.G.) COLLEGE
MODINAGAR-201204

TITLE: GROUND FLOOR PLAN

TYAGI & ASSOCIATES
ARCHITECTS, ENGINEERS & PLANNERS

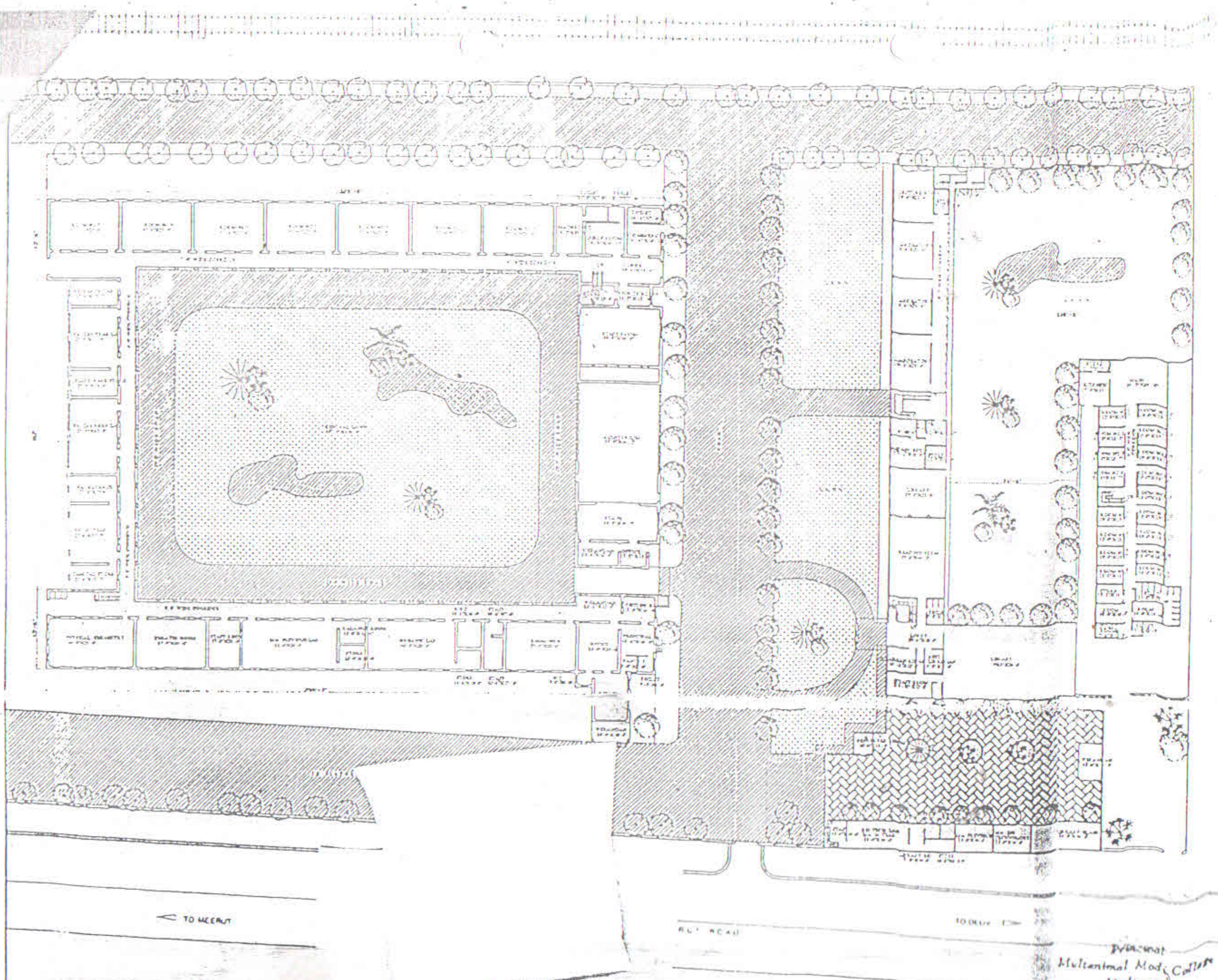

Principal
Multanimal Modi College
Modinagar

MULTANIMAL MODI (P.G.) COLLEGE, MODINAGAR.

1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECTS AND IS NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT THEIR PERMISSION.
2. THIS DRAWING SHALL ONLY BE READ AND NOT SCALED.
3. ALL DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND CO-RELATED WITH THE RELEVANT ARCHITECTURAL\ STRUCTURAL DRAWINGS.
4. ANY AMBIGUITY SHALL IMMEDIATELY BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT.
5. ALL DIMENSIONS ARE IN FEET-INCHES.

Neeraj Tyagi

Ar NEERAJ TYAGI
B.Arch., M.C.A., A.I.I.A.
CA/59/24516 A.I.I.A.-13012
TYAGI & ASSOCIATES
18, 1st FLOOR, K.N. MODI COMPLEX,
MODINAGAR (U.P.) Ph:-(01232)-21709

REVISIONS | DRAWINGS ISSUED

PROJECT:
MULTANIMAL MODI (P.C.) COLLEGE
MODINAGAR-201204

ARCHITECT'S SIGNATURE | OWNER'S SIGNATURE

TITLE: GROUND FLOOR PLAN

TYAGI & ASSOCIATES
ARCHITECTS, ENGINEERS & PLANNERS